UPRN010093962019

न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/ कानपुर देहात।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–247/2019

सरकार .....बनाम.....पिन्टू।

मु०अ०सं०–1358/2017
अं०धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० व
धारा– 3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–भोगनीपुर, कानपुर देहात।

दिनांक–17.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त **पिन्टू** के विरूद्ध प्रेषित प्रॉसेस पर आख्या इस आशय की प्राप्त हुई कि अभियुक्त के अंकित पते पर पहुंचे तो अभियुक्त के भाई द्वारा बताया गया कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक–14.10.2019 को हो चुकी है। समर्थन में अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में तहरीर व मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

न्यायालय में परीक्षित साक्षी सी०डब्लू० 1 एस०आई० अतेन्द्र कुमार, चौकी प्रभारी, देवी पुरवा ने अपने बयान में इस आशय का सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त के अंकित पते पर पहुंचा तो घरवालों द्वारा बताया गया कि पिन्टू उर्फ सन्दीप पुत्र मूल चन्द्र की मृत्यु लगभग 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिसके समर्थन में अभियुक्त पिन्टू उर्फ सन्दीप के भाई विपिन सिंह द्वारा अभियुक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र व हस्तलिखित तहरीर दी गयी। जिसके अनुसार अभियुक्त पिन्टू उर्फ सन्दीप की मृत्यु दिनांक–14.10.2019 को हो चुकी है। अभियुक्त की मृत्यु के समर्थन में ग्राम पंचायत मलासा की प्रधान रिया सिंह द्वारा भी अपने लेटर हैड पर इस बात की तस्दीक की गयी। साक्षी द्वारा मृत्यु आख्या को **प्रदर्श C–1,** ग्राम प्रधान के लेटर को **प्रदर्श C–2,** मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति को **प्रदर्श C–3 व** मृतक के भाई की तहरीर को **प्रदर्श C–4** के रूप में साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष सी०डब्लू०–2 के रूप में अभियुक्त के भाई विपिन सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि सन्दीप उसका सगा बड़ा भाई था। पिन्टू उनका प्रचलित नाम

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.07.17 15:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

था। ज्यादातर लोग उसे पिन्टू नाम से ही जानते थे। पिन्टू उर्फ सन्दीप एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रभारी निरीक्षक को जो साक्षी ने पूर्व में पत्र दिया था वह उसके हस्तलेख में है। उसके भाई पिन्टू उर्फ सन्दीप की मृत्यु दिनांक–14.10.2019 को हो गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त **पिन्टू** की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से किसी विपरीत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त प्रकरण के अभियुक्त **पिन्टू** के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2/

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०),

रमाबाईनगर (कानपुर देहात)